

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

Annex:
63

चल्लभ भवन, भोपाल-462004

प्रमाणिक स्फ 73-66/2006/20-6

भोपाल, दिनांक 29-06-2006

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- अनासकीय संस्था नालंदा पब्लिक स्कूल, धनवन्तरी नगर, ---
जबलपुर-~~मो-प्रोई~~ ---
को सी. बी. एस. ई./~~अर्द्ध-सी. एस. ई.~~ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।

=====

राज्य शासन द्वारा अनासकीय संस्था नालंदा पब्लिक स्कूल, धनवन्तरी
नगर, जबलपुर-~~मो-प्रोई~~ --- को सी. बी. एस. ई./~~अर्द्ध-सी.~~
एस. ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर
दिया जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ
प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिले सके इस हेतु
संस्था की कार्यकारिणी में म. प्र. माध्यमिक शिक्षण मण्डल के
प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।


{2} विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक
एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के
लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा, आदि आदरपूर्ण
नुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जा
जाये।

{3} इन संस्थाओं के निबालन में आंगणविकासकों को नियुक्त करने हेतु
पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकार को संस्था का निबालन
करने का अधिकार होगा।

Sangeeta Mathur
Principal
NALANDA PUBLIC SCHOOL
Dhanwantri Nagar, Jabalpur



निरंतर..



4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने उपरान्त भी म. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण विद्यालयनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रगति एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का ध्यान-पत्र संस्था से प्राप्त किया जाएगा ।
5. संस्था की प्रगति कारिणी समिति में म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के जेल आयोजकों, सांस्कृतिक आयोजकों, विद्यालय मेला का आयोजन आदि में सहायोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. असाहक्रीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क ध्या-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जाएगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील जॉर्नल श्रमण जंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।

संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं धारित निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुनांत प्राप्त एवं वेध वाहनो का ही उपयोग किया जाएगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो को किसी भी ऐसे ज्वलन्शील साधन को धोरे रूप में उपयोग न संघालित नहीं किया जाएगा ।

PRINCIPAL
PUBLIC SCHOOL
Dhanwantri Nagar
Jabalpur
28-11-18


Sangeeta Mathur
Principal
NALANDA PUBLIC SCHOOL
Dhanwantri Nagar, Jabalpur

(Handwritten signature)



11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । बोर्ड भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी । इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनादरित प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


[आदेशानुसार अधिकाधिक]
20/6/06
अधीक्षक


म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 29-06-2006

पूस्तांकन क्रमांक एफ 73-66 /2006/20-3,

प्रतिलिपि:-


1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ~~जबलपुर~~ मि. प्र. 01
3. प्राचार्य, अनासर्काय शिक्षण संस्था ~~नासर्दा पब्लिक स्कूल, धनवन्तरी नगर,~~
जिला: जबलपुर. मि. प्र. 01
4. आईर बुक ।


की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचित ।


29.11.18

Sangeeta Mathur
Principal

NALANDA PUBLIC SCHOOL
Dhanwantri Nagar, Jabalpur


Sangeeta Mathur
Principal
NALANDA PUBLIC SCHOOL
Dhanwantri Nagar, Jabalpur


PRINCIPAL
NALANDA PUBLIC SCHOOL
DHANWANTRI NAGAR,
JABALPUR (M.P.)


PRINCIPAL
NALANDA PUBLIC SCHOOL
DHANWANTRI NAGAR,
JABALPUR (M.P.)

भारत सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग